प्रेषक,

श्रीप्रकाश गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0 प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2024

विषयः- नीट काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेशित सीट से त्यागपत्र हेतु राज्य द्वारा लागू Seat Leaving Bond व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/विधि/2024/292, दिनांक-06.02.2024 एवं अध्यक्ष, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यू०जी०एम०ई०बी०), भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एनएमसी(23)(1)(161/2024/003132 दिनांक 19.01.2024 तथा एतद्विषयक शासनादेश संख्या-1454/71-2-2011-17/2010 दिनांक 25 अप्रैल 2011, शासनादेश संख्या-1375/71-2-2014-103/2011 दिनांक 26 जून 2014, शासनादेश संख्या-I/348793/2023 दिनांक 13 जुलाई 2023, शासनादेश संख्या-612/71-4099/1229/2019 दिनांक 23 सितम्बर 2022, शासनादेश संख्या-693/71-4-2022 दिनांक 21 अक्टूबर 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों / संस्थानों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटों पर प्रवेशोपरान्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व किसी भी अभ्यर्थी से Seat Leaving Bond धनराशि अथवा अर्थदण्ड लिये जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर एन०एम०सी० के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.1.2024 के प्रस्तर-5 द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है, तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रकिया से Debar किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by (श्रीप्रकाश गुप्ता)
Shree Prakash Gupta विशेष सचिव।
Date: 26-06-2024 15:11:13

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि अध्यक्ष, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यू०जी०एम०ई०बी०), भारत सरकार को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एनएमसी(23)(1)(161/2024/003132 दिनांक 19.01.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश गुप्ता)
विशेष सचिव

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याःएम0ई0–3 / 2024 / 1260 दिनांकः 27 जून, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषितः–

1. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 / यू0पी0यू0एम0, सैफई।
2. निदेशक, डा0आर0एम0एल0, लखनऊ एस0जी0पी0जी0आई0,लखनऊ / पी0जी0आई0 सी0एच0, नोएडा / सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ / जिम्स, ग्रेटर नोएडा / क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर / मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगरा / हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय / स्वशासी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कॉलेज उ0प्र0।(फेज–1, 2 एवं 3)
4. प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल / डेण्टल कॉलेज उ0प्र0।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
प्रशासकीय परामर्शी
कृते महानिदेशक

प्रेषक,

श्रीप्रकाश गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0 प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2024

विषयः- नीट काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेशित सीट से त्यागपत्र हेतु राज्य द्वारा लागू Seat Leaving Bond व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/विधि/2024/292, दिनांक-06.02.2024 एवं अध्यक्ष, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यू०जी०एम०ई०बी०), भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एनएमसी(23)(1)(161/2024/003132 दिनांक 19.01.2024 तथा एतद्विषयक शासनादेश संख्या-1454/71-2-2011-17/2010 दिनांक 25 अप्रैल 2011, शासनादेश संख्या-1375/71-2-2014-103/2011 दिनांक 2 6 जून 2014, शासनादेश संख्या-I/348793/2023 दिनांक 1 3 जुलाई 2023, शासनादेश संख्या-612/71-4099/1229/2019 दिनांक 2 3 सितम्बर 2022 , शासनादेश संख्या-693/71-4-2022 दिनांक 21 अक्टूबर 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों / संस्थानों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटों पर प्रवेशोपरान्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व किसी भी अभ्यर्थी से Seat Leaving Bond धनराशि अथवा अर्थदण्ड लिये जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर एन०एम०सी० के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.1.2024 के प्रस्तर-5 द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है, तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रकिया से Debar किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रतिप्रेषित कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

S.P. Singh
A.O.-III

भवदीय,

Signed by
Shree Prakash Gupta
Date: 26-06-2024 15:11:13

(श्रीप्रकाश गुप्ता)
विशेष सचिव।

26/06/24
संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि अध्यक्ष, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यू०जी०एम०ई०बी०), भारत सरकार को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एनएमसी(23)(1)(161/2024/003132 दिनांक 19.01.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश गुप्ता)
विशेष सचिव